दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सि.अ.(वाणि.बौ.सं.अनु-व्या.चि.) 88/2022

शिवानी विग कपूर और रुशी तिवारी मक्केर, आ.सं.136, राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नाथूपुर गुड़गांव, हरियाणा ....अपीलार्थी

द्वारा: श्री वैभव वत्स, सुश्री अनुप्रिया श्याम, सुश्री आमना हसन और सुश्री युशिका डालमिया, अधिवक्तागण

बनाम

व्यापार चिह्न पंजीकरण, बौद्धिक संपदा भवन, प्लॉट सं. 32, सेक्टर-14, द्वारका, नई दिल्ली .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर, केन्द्रीय वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता के साथ श्री श्रीश कुमार मिश्रा, श्री अलेक्जेंडर मथाई पैकाडे और श्री कृष्णन वी, अधिवक्तागण

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री सी. हरिशंकर

<u>आदेश (मौखिक)</u>

12.12.2023

1. अपीलकर्ता ने 28 जनवरी 2013 को वर्ग 39 "परिवहन; माल की पैकेजिंग और भंडारण; यात्रा व्यवस्था, पर्यटन, पर्यटन व्यवस्था " के संबंध में “WONDERFUL WORLD” शब्द के पंजीकरण के लिए आवेदन किया।

2. व्यापार चिह्न के वरिष्ठ परीक्षक द्वारा आदेश 1 मई 2018 *द्वारा* आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जो इस प्रकार है:

"आदेश"

उपरोक्त मामले के संबंध में सुनवाई 23/04/2018 को मेरे सामने आई और निम्नलिखित को आवेदक/एजेंट को सूचित किया जाना है:

1. श्री श्रेयस रस्तोगी, आवेदक/अधिवक्ता/एजेंट, मेरे समक्ष उपस्थित हुए और अपनी प्रस्तुतियाँ दीं। मैंने सभी तर्क-वितर्क सुने, अभिलेखों का अध्ययन किया और निम्नलिखित आदेश पारित किए।

2. अधिनियम की धारा 9/11 के अंतर्गत आवेदित व्यापार चिन्ह आपत्तिजनक है। तदनुसार आवेदन को अस्वीकार किया जाता है।

व्यापार चिह्न नियम, 2017 के नियम 36(1) के तहत ध्यान आकर्षित किया जाता है कि यदि आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है तो रजिस्ट्रार द्वारा उक्त आवेदन को अस्वीकार करने के निर्णय पर पहुंचने के लिए निर्णय के आधार और उपयोग की गई सामग्री को लिखित रूप में संप्रेषित करने के लिए निर्धारित शुल्क के साथ फॉर्म संख्या टीएम-एम में अनुरोध किया जा सकता है। फॉर्म टीएम-एम पर उक्त अनुरोध अस्वीकृति के आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

दिनांक: 01 मई 2018

(बीरेंद्र जयसवाल)
व्यापार चिह्न के वरिष्ठ परीक्षक
(अधिनियम की धारा 3(2) के तहत अधिकृत)

3. जैसा कि 1 मई 2018 के उपरोक्त आदेश के अंतिम पैराग्राफ में सलाह दी गई है, अपीलकर्ता ने 4 जून 2018 को आवेदन किया, जिसमें अपीलकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करने का कारण पूछा गया।

4. मैं नोट करना चाहूंगा कि व्यापार चिन्ह के पंजीकरण के लिए आवेदन के अस्वीकरण का अनुचित आदेश पारित करने की प्रथा और तत्पश्चात् शुल्क भुगतान के विरुद्ध अस्वीकृति के कारणों के लिए आवेदक से आवेदन करने की अपेक्षा करना स्पष्ट रूप से एक अस्वस्थ प्रथा है, यद्यपि इसे व्यापार चिन्ह नियमावली के नियम 36(1)1 के रूप में विधायी मंजूरी प्राप्त है। श्री मिश्रा ने मुझे सूचित किया है कि उक्त प्रथा का अब पालन नहीं किया जा रहा है। यह निस्संदेह एक स्वागत योग्य विकास है।

5. इसके अलावा, यह न्यायालय मामले दर मामले यह देख रहा है कि उस शासन के दौरान जब नियम 36(1) का पाठ और भावना में पालन किया जा रहा था, बाद का आदेश जिसमें व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए आवेदक द्वारा किए गए आवेदन के अस्वीकृति के कारण शामिल होने चाहिए थे, यह भी अस्वीकृति के मूल आदेश की तरह ही अतार्किक था, क्योंकि यह केवल प्रासंगिक प्रावधानों का पाठ निर्धारित करता था। प्रावधानों के पाठ को टाइप करने की परेशानी उठाने के बजाय, अस्वीकार करने वाले प्राधिकारी ने आवेदक को व्यापार चिह्न अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन करने और स्वयं ही इस बात पर विचार करने का निर्देश दिया होगा कि उसका आवेदन आखिरकार क्यों खारिज किया गया था। नियम 36(1) के तहत आवेदक द्वारा अस्वीकृति के कारणों की मांग के जवाब में प्रावधानों के पाठ का मात्र पुनरुत्पादन, कारण बताने की आवश्यकता के प्रति पूर्ण रूप से असहयोग है।

6. जो भी हो, क्योंकि इस प्रथा का अब पालन नहीं किया जा रहा है, मैं इस पर आगे कोई टिप्पणी करने से बचता हूं।

7. मैं इस मामले को प्रतिवादी को अस्वीकृति के विस्तृत कारण बताने के लिए वापस भेजने का कोई उद्देश्य नहीं देखता, क्योंकि आरोपित आदेश 2018 में पारित किया गया था, और तब से पांच साल बीत चुके हैं, जिसके दौरान कोविड-19 महामारी आई और चली भी गई।

8. इसलिए, मैंने व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार की ओर से पेश हुए श्री मिश्रा से पूछा कि याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने के लिए व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 9(1)(क)2 और धारा 9(1)(ख)3 को आधार के रूप में लागू करने का औचित्य क्या है। जिस चिह्न को पंजीकृत करने की मांग की गई थी, वह शब्द चिह्न "WONDERFUL WORLD" था, जो स्पष्ट रूप से उन सेवाओं का वर्णन करता है जिन्हें चिह्न द्वारा कवर किया जाना है। इस प्रकार, उन्होंने प्रस्तुत किया कि वरिष्ठ परीक्षक ने याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने में सही किया था और यह निर्णय इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।

9. मैं इस बात से सहमत नहीं हो पा रहा हूं कि श्री मिश्रा द्वारा दी गई प्रस्तुति किसी भी मामले में धारा 9 (1) (क) के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करने का औचित्य साबित नहीं कर सकता है।

10. धारा 9 (1) (क) ऐसे आवेदन की अस्वीकृति की अनुमति देता है जो किसी विशिष्टता विहीन चिह्न के पंजीकरण कि मांग करता है। इस प्रावधान में विशिष्टता विहीनता की अवधारणा अस्पष्ट नहीं रखी गई है, बल्कि यह स्पष्ट करता है कि विशिष्टता विहीनता का तात्पर्य है कि चिह्न ऐसा नहीं है जो आवेदक के वस्तु या सेवाओं को दूसरों के वस्तु या सेवाओं से अलग करने में सक्षम हो।

11. मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि बिना किसी साक्ष्य के इस आशय से संबंधित यह तर्क कैसे रखा जा सकता है कि यदि आवेदक को चिह्न WONDERFUL WORLD दी जाती है, तो यह चिह्न आवेदक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को दूसरों की सेवाओं से अलग नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि शब्द WONDERFUL WORLD, जब एक वाक्यांश के रूप में इसका इतना आम है कि उनमें स्वाभाविक रूप से विशिष्टता की कमी है और इसलिए, पंजीकरण के लिए अयोग्य हैं। वरिष्ठ परीक्षक ने किसी अन्य व्यक्ति का संदर्भ नहीं दिया है, जिसके पास 'WONDERFUL WORLD' या किसी अन्य की अभिव्यक्ति हेतु व्यापार चिह्न के रूप में पंजीकृत है। इसलिए वह इस आधार पर चिह्न के पंजीकरण के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकता था कि चिह्न में विशिष्टता की कमी थी क्योंकि यह अपीलकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को दूसरों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से अलग नहीं कर सकता था।

12. इसलिए, धारा 9 (1) (क) को स्पष्ट रूप से चिह्न को अस्वीकार करने के आधार के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, श्री मिश्रा ने भी धारा 9 (1) (क) पर अपनी दलील को आधार नहीं बनाया।

13. श्री मिश्रा, हालांकि, प्रस्तुत करते हैं कि इस आधार पर प्रदत चिह्न अपने प्रकृति में वर्णात्मक है।

14. वर्णनात्मक चिह्नों और संकेतक चिह्नों के बीच अंतर होता है। धारा 9(1)(ख) उन चिह्नों के पंजीकरण को प्रतिबंधित करती है जो वस्तु के प्रकार, गुणवत्ता, मात्रा, इच्छित उद्देश्य, मूल्य, भौगोलिक उत्पत्ति या उत्पादन या सेवाओं के प्रदान करने या माल या सेवाओं की अन्य विशेषताओं को इंगित करते हैं, या जो व्यापार में नामित करने के लिए काम आ सकते हैं। इस प्रावधान को न्यायिक निर्णयों द्वारा "वर्णनात्मक" के रूप में जाना जाता है। ऐसे चिह्न जो उन वस्तुओं या सेवाओं का वर्णन करते हों जिन्हें वे कवर करना चाहते हैं, पंजीकरण के हकदार नहीं हैं। हालांकि, वर्णनात्मक चिह्नों और संकेतक चिह्नों के बीच अंतर है। वर्णनात्मक चिह्नों के विपरीत, संकेतक चिह्न पंजीकरण के हकदार हैं।

15. “WONDER FULL” चिह्न को अपीलकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए वर्णनात्मक नहीं माना जा सकता। केवल यह तथ्य कि अपीलकर्ता यात्रा और पर्यटन से संबंधित सेवाओं के लिए चिह्न के पंजीकरण की मांग कर रहा

था, जिसमें संभवतः विभिन्न स्थानों की यात्राएं शामिल हो सकती हैं, “WONDERFUL WORLD” चिह्न को यात्रा सेवाओं का वर्णनात्मक मानने का आधार नहीं हो सकता।

16. कोई भी इसे स्मरण कर सकता है कि प्रसिद्ध सैक्सोफोनिस्ट लुई आर्मस्ट्रांग की सबसे प्रसिद्ध गायन प्रस्तुतियों में से एक "इट्स ए वंडरफुल वर्ल्ड" है, और उस्ताद ने इस गीत की प्रस्तुति देते हुए निश्चित रूप से किसी भी तरह की यात्रा सेवाओं का उल्लेख नहीं किया था।

17. इसलिए, सबसे अधिक, शब्द " WONDERFUL WORLD " यात्रा सेवाओं के लिए सूचक हो सकते हैं। धारा 9 (1) (ख) का उपयोग किसी भी शब्द चिह्न को पंजीकरण से इनकार करने के आधार के रूप में नहीं किया जा सकता है, जिसका उन वस्तुओं या सेवाओं से कोई संबंध हो चाहे वह कितना भी दूर का संबंध क्यों न हो, जिसके लिए चिह्न का पंजीकरण मांगा गया है। इसलिए, मैं श्री मिश्रा के इस कथन से सहमत होने में असमर्थ हूं कि शब्द " WONDERFUL WORLD " को धारा 9 (1) (ख) के तहत पंजीकरण से इनकार कर दिया गया था।

18. जैसा कि मुझे धारा 9 (1) (क) या धारा 9 (1) (ख) को एक आधार के रूप में न्यायसंगत नहीं लगता है, जिस पर अपीलकर्ता द्वारा मांगे गए WONDERFUL WORLD चिह्न के पंजीकरण से इनकार किया जा सकता है,

1 मई 2018 के आक्षेपित आदेश के साथ-साथ 21 जून 2018 के बाद के संचार जो कथित तौर पर अस्वीकृति के आधार को निर्धारित करते हैं, दोनों को रद्द कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है।

19. चिह्न अभी तक विज्ञापित नहीं किया गया है, क्योंकि इसे प्रारंभिक चरण में खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार, शब्द चिह्न "WONDERFUL WORLD" के पंजीकरण की मांग के लिए याचिकाकर्ता का आवेदन संख्या 2467381 व्यापार चिह्न रजिस्ट्री को भेज दिया जाता है ताकि इसका विज्ञापन किया जा सके और उस संबंध में आगे की कार्यवाही की जा सके।

20. पूर्वोक्त शर्तों के आधार अपील की अनुमति दी जाती है।

न्या. सी. हरि शंकर

12 दिसम्बर 2023
आर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*